–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 71/2019

उनवान

1. सोपाल पुत्र हरजी
2. मिश्रीलाल पुत्र हरजी समस्त जाति भांबी निवासी ग्राम बेवंजा, नसीराबाद

–– वादीगण :– जरियें अधिवकता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

––– प्रतिवादी :– जरियें राज. पैरोकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 12.2.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बेवंजा में वादीगण की आवंटनशुदा खातेदारी/काश्तकारी की भूमि है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

चौसाला ख.न.	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
471	1222 मिन	20–00–00	2449	3.51

उक्त आराजी का आवंटन हरजी पुत्र छोगा को किया गया। आवंटन की पालना में आराजी मुतनाजा वंर्किग जमाबंदी में हरजी पुत्र छोगा के नाम गैर खातेदारी दर्ज की गयी। हरजी आंवटन दिनांक से ही उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। हरजी की मृत्यु हो गयी है के वारिस वादीगण आज दिवस में आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2035, 2037, 2031, 2030, 2018, 2034 की प्रतिलिपि सलंग्न है। आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 2449 रकबा 3.51 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिसटर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 1222 का पूर्ण मिलान पेश नही किया है। कब्जे सबंधित दस्तावेज पेश नही किये है। भूमि हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादीगण के पिता को विधिवत आवंटित हुयी व आंवटन शर्तो की पालना की गयी ?

–– वादीगण

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

–– वादीगण

3. आया वादीगण द्वारा वंर्किग खसरा नम्बर 1222 का पूर्ण मिलान पेश नही किया है, इसका वाद पर क्या असर पडगगा ?

–– प्रतिवादी

4. अनुतोष ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:35:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी मिश्रीलाल व गवाह रामधन का शपथ पत्र पेश किया।

राज. पैराकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया।

तनकी संख्या 1:–

वादी द्वारा प्रस्तुत वंर्किं जमाबंदी अनुसार खाता संख्या 206/201 में वंर्किंग खसरा नम्बर 1222 मिन रकबा 20–0–0 वादीगण के पिता हरजी पुत्र छोगा भांबी के नाम गैर खातेदारी दर्ज था। उक्त खातें में बदर नम्बर 53 से 20–0–0 सिवायचक होने का नोट अंकित है। वादीगण का कथन है कि चौसाला खसरा नम्बर 471 के वंर्किंग खसरा नमबर 1222 उनके पिता को आवंटित हुये थे। किन्तु वादीगण ने उक्त आराजी उनके पिता को आवंटित होने का कोई प्रमाण पत्रावली में पेश नही किया है। वादग्रस्त आराजी के आवंटन के कोई दस्तावेज वादीगण द्वारा पेश नही किये है। वंर्किंग जमाबंदी में आराजी मुतनाजा सहवन से वादीगण के पिता के नाम गैर खातेदारी अंकित हुयी थी, जिसे बदर नम्बर 53 से पुनः सिवायचक दर्ज किया गया है। वादीगण द्वारा चौसाला खसरा नम्बर 471 की जमाबंदी भी पेश नही की है जिसमें आराजी उनके पिता के नाम दर्ज हो। आवंटन दस्तावेज के अभाव में आराजी मुतनाजा वादीगण के पिता को आवंटन होना सिद्व नही होता है। तनकी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 व 3 :–

उक्त तनकी एक दूसरे की पूरक होने से इनका निर्णय साथ–साथ किया जाना न्यायोचित है। तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा वादीगण के पिता को विधिवत आवंटित होना सिद्व नही होता है। वंर्किंग जमाबंदी में उक्त आराजी सहवन से वादीगण के पिता के नाम गैर खातेदारी अंकित हुयी थी, जिसे बदर नम्बर 53 से पुनः सिवायचक दर्ज किया गया है। वादीगण द्वारा चौसाला खसरा नम्बर 471 की जमाबंदी भी वेश नही की है जिसमें आराजी उनके पिता के नाम दर्ज हो। पूर्व राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि सिवायचक होने के कारण हाल राजस्व अभिलेख में भी बंदोबस्त विभाग द्वारा पूर्व इन्द्राज को दोहराते हुये भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया है। वादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा पर कब्जा सिद्व करने के लिये जो खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील पेश की है, उनमें भी वादीगण के पिता अतिक्रमी की हैसियत से यदा–कदा काबिज है। वादीगण का उक्त आराजी पर कदीमी कब्जा सिद्व नही होता है। सिवायचक आराजी पर खण्डित कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। आराजी मुतनाजा का वत्रमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। तनकी विरूद्व वादीगण बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम बैवंजा के हाल खसरा नम्बर 2449 रकबा 3.51 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:35:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सोपाल बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88, 188. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 71/2019
पेश करने की दिनांक – 19.06.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम बैवंजा के हाल खसरा नम्बर 2449 रकबा 3.51 की आराजी पर वादीगण का वाद "**खारिज**" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12 माह 2 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बावत् इजराय हुक्मनामा
बावत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:35:54 IST
Reason: SelfAttested